रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1975/माघ 15, 1896
No. 48] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 1975/MAGHA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Boarder Security (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th February 1975

S.O. 69(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Manipur for a period of six months with effect from 7-2-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69.BS.II(G&Q)]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) अनुभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 फरवरी 1975

सा० नि० 69 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपवर्णित खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-2-75 से 6-8-75 तक छह मास के लिए मणीपुर में सेवारत होगा सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 70(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra for a period of six months with effect from 10-2-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69.BS.II(G&Q)]

सा० नि० 70 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-2-75 से 9-8-75 तक छह मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 71(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 13-2-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69.BS.II(G&Q)]

सा० नि० 71 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (i) के उपखण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-2-75 से 12-8-75 तक छह मास के लिए मध्य प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू०)]

S.O. 72(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Mysore for a period of six months with effect from 17th February, 1975 as active duty.

[No. F. 9/28/69. BS. II(G&Q)]

सा० नि० 72 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप धारा (i) के खण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-2-75 से 16-8-75 तक छह मास के लिए मैसूर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 73(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 23rd February, 1975 as active duty.

[No. F. 9/28/69. BS. II(G&Q)]

सा० नि० 73 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-2-75 से 22-8-75 तक छह मास के लिए आन्ध्र प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 74(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 28th February, 1975 as active duty.

[No. F. 9/28/69. BS. II(G&Q)]

S. HAMID, Jt. Secy.

सा० नि० 74 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप धारा (i) के खण्ड (क) [उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 28–2–75 से 27–8–75 तक छह मास के लिए उत्तर प्रदेश से सवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

एस० हामिद, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975